न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
फता पुत्र स्व. रूपा जाति ग्रासिया निवासी उपलाखेजड़ा व अन्य – 2		श्री नोका पुत्र वक्ता ग्रासिया निवासी उपलाखेजड़ा व अन्य –14

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019

दिनांक 15.07.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम उपलाखेजड़ा, पटवार हल्का उपलाखेजड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निचलागढ़ में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि कुल कीता 39 रकबा 16 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। जिसकी भिन्न भिन्न खसरा संख्या है। जिनमें से खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा के संबंधित विवाद होने से खसरा संख्या 282 बाबत वाद पेश किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण की उक्त खसरा संख्या 282 की भूमि पर पक्का निर्माण करना शुरू किया। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर तथा अन्य खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद करवाने के लिये ताकि अप्रार्थीगण कृषि भूमि खसरा संख्या 282 में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही करे, कोई निर्माण नही करे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करें। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल प्राप्त होने पर शामिल मिसल किये गये। मूल वाद में स्टेट का जवाब दिनांक 11.10.2019 को पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 द्वारा कोई जवाब पेश नही करने से दिनांक 29.06.2022 को अप्रार्थीगण का जवाब बंद कर दिया गया।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण ने कथन किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि मौजा उपलाखेजड़ा में खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा आई हुई है जिन पर अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण की कोशिश की व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने पक्का निर्माण शुरू किया। मूल वाद में भी स्टेट के जवाब में खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा में प्रार्थीगण की खातेदारी बतायी गयी है व अप्रार्थी संख्या 01 से 14 द्वारा जवाब भी पेश नही किया गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकन व कथन किया उनकी खातेदारी की कृषि भूमि मौजा उपलाखेजड़ा में खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा आयी हुई व मूल वाद में स्टेट के जवाब में इस कथन को सत्य बताया गया है। अप्रार्थी सख्या 01 से 14 द्वारा जवाब पेश नही किया गया, जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है।

3. अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थीगण का कथन व मूल वाद [illegible] के जवाब के अनुसार मौजा उपलाखेजड़ा में खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा [illegible] की खातेदारी की है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण या निर्माण करने से प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति हो सकती है। अतः अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में सफल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय होने से स्वीकार योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में सफल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 14 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा उपलाखेजड़ा, पटवार हल्का उपलाखेजड़ा, तहसील देलदर के खसरा संख्या 282 रकबा 01 बिस्वा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में दखल अंदाजी नही करे, अनाधिकृत प्रवेश नही करे , कोई निर्माण नही करे, न अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.7.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:28 IST
Reason: SelfAttested